Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/ 2902 Dated : 14.01.25

The Secretary,
Environment and Climate Change,
State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
10, Bhawani singh Lane, Bhawani Singh Rd,
Sahakar Marg, near ETC,
Jaipur, Rajasthan (Pin code no. 302005)

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 29.11.2024 for Environmental Clearance of **Shri Amit Sanadhya, Quartz & Feldspar Mine (Plot no.- 22/2020), N/v- Kheda-Bhansol, Tehsil- Mavli, District : Udaipur.**

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्र क्रमांक प.39/2( )राज./खनन/2024/2363–65 दिनांक 15.10.2024

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 29.11.2024 for proposed production of Quartz & Feldspar of **Shri Amit Sanadhya, (Plot no.- 22/2020), N/v- Kheda-Bhansol, Tehsil- Mavli, District : Udaipur.**

A copy of attendance sheet, pendrive and photographic album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

Encl: As above.

sd/
(Sharad Saksena)
Regional Officer

Copy to:- (1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
(2) Sub Divisional Magistrate, Tehsil-Mavli, Udaipur.
(3) Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
(4) Shri Amit Sanadhya, N/v- Kheda-Bhansol, Tehsil- Mavli, District: Udaipur.

Regional Officer

Signature valid
Digitally signed by Sharad Saksena
Designation: Senior Environmental Engineer
Date: 2025.01.14 13:30:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12990729

श्री अमित सनाद्या, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 29.11.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम– खेड़ा भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्ड़ियन एक्सप्रेस में दिनांक 24.10.2024 एवं महानगर टाइम्स में दिनांक 24.10.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"श्री अमित सनाद्या"** द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार** खनन परियोजना (**प्लॉट न. 22/2020** (लीज क्षेत्र 3.4579 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्‌टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 21.7479 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 912018 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 352185 TPA निकट ग्राम–खेड़ा भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 3/– करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 16.08.2024 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के सम्बन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो भी कुछ कहना चाहे कोई आपकी कोई शिकायत हो तो कोई आपका कोई सुझाव हो कोई आपको यहॉ कोई काम करवाना हो तो आकर कह सकते है। ये स्कूल के प्रिंसिपल है क्या अपने यहॉ पर?

स्कूल टीचर :–

सर वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसमें कितना रोजगार का कितनी है आपके इसमें।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

30 से 40 जने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से करीब 70 से 80 जने।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यहॉ से कितनी दूर है माईन्स करीब इस जगह से?

पर्यावरणीय सलाहकार :–

मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

2 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट आप ही का है।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

हॉ मेरा ही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

क्या नाम है आपका?

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

मेरा नाम अमित सनाढ्य।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

स्कूल में आपकी सारी व्यवस्था है?

स्कूल टीचर :–

जी सर बराबर है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई आपको माईन्स से करवानी हो तो आप बता सकते है।

स्कूल टीचर :–

नही सर ये जो लेडिज वॉशरूम है उसकी प्रोब्लम है। यहॉ पर लेडिज स्टाफ ज्यादा है। 6 का लेडिज स्टाफ। वॉशरूम को लेकर थोडी प्रॉब्लम है।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

तो हमे खुद को महसूस हुआ कि स्कूल की बच्ची और स्टाफ के लिये। सही में सर्विटेशन की आवश्यकता है सो सबसे पहले हमने स्कूल के लिये भी प्रावधान किया है। सबसे पहला काम हम स्कूल के लिये ही करायेंगे। क्योकि ये बात बहनों के लिये बहुत आवश्यक है।

ग्रामीण :–

पहले भी सर कुछ नही करवाया। चार चार माईन्स चली।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

सर अभी हमारा ये नया प्रोजेक्ट हैं। हमने जो बजट किया हैं। हम उसके लिये है। अगर उसने क्या किया है वो मुझे आईडिया नही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी जो भी चीज होगी। उसकी थोडी व्यवस्था जल्दी करवा दो। कहा से? जैसा ये बता रहा है। लोग कहना चाह रहे है कि पहले वो नही किया। ये दिक्कत नही आनी चाहिये।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

फर्स्ट प्रायोरिटी पर करवाये और माननीय गांव वालो को बुलाकर ही उसका उद्घाटन करवायें।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसमे कोई काम नही करवाया?

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

कुछ भी नही करवाया आज दिन तक। पहले भी लेकर आया ग्राउण्ड के बारे में तो बोला कि हां करवायेंगे उसके बाद मे।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये कब हुई थी पब्लिक हियरिंग कितने टाईम की बात है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

15 साल से ये चला रहे है। पहले तो हमारे गांव के बाहर चलाई थी कनोड मे। 10 बिगा जमी। गांव वालो से फर्जी कागज पर साईन करवा कर।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपका शुभ नाम।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

मेरा नाम प्रेमलाल जाट स्कूल में सबसे पहले तो बाथरूम तो हम भी करवा देंगे कोई दिक्क्त नही है। 20–50 हजार रूपये देंगे गाँव का चंदा डाल देगे। सबसे पहले तो हमारा ग्राउण्ड कम्पलीट करवाओ।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप देखना कि इसमें कही ये टॉयलेट तो नही बता रहे है।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

टॉयलेट तो हम करवा देंगे कोई दिक्कत नही है। सबसे पहले ये ग्राउण्ड कम्पलीट करवाओ।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ज्यादा काम नही हो ना तो अपने लेवल पर करवादो।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

सर देखिये हम यहाँ काम कर रहे है। हमें यहाँ रोजगार देना है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये कह रहे कि जैसे इनके टॉयलेट वगेरह.....

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

सर हमे तो क्लस्टर के लिये पूरा काम करना है। जो भी हमसे होगा वो हम पूरा करेंगे। इनके सुझाव लेकर तो। जो सुझाव। हमे यहाँ ऐसपेंस करना है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यहाँ पर अभी सरपंच नही आये क्या यहाँ के?

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

उनका रास्ता देखो आप। गांव का आने का रास्ता 6 साल से बंद पडा है। हम गायं भैसे लेकर जा रहे है। गादे में लेकर जा रहे है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

चलो वो तो अलग ईशु है।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

ये तो PWD में हो गया तो कोई दिक्क्त नही लेकिन वो तो पंचायत का काम है ना? आप खुद चलो देखने। आपको खुद को पता चल जायेगा कि क्या समस्या है सामने।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

गांव वालो से मिलकर जो भी समस्या हो ना। देखो ग्राउण्ड का इन्होने बताया

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

सर ये भी इनके सहयोग से करना था। अगर ये कुछ और कहेंगे। हमे एक्सपेन्स करना है तो हम भी इनके सहयोग से करेंगे। अभी हम यहां कोई काम करना शुरू ही नही किया तो यहॉ।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

अभी बोलकर आपके सामने चले जाये तो?

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नही–नही इनका तो ऐसा है कि ये जो भी चीज ये हो रही है ना।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

अभी तो हम एग्री हो जायेंगे। ये बोलकर चले जायेंगे।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले वाली आपकी हुई और जो काम नही कर रहे है उसकी आपने शिकायत कही करी थी क्या?

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

शिकायत कितनी बार दे रखी है पंचायत मै। देखना।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

पंचायत में शिकायत से नही है। SDM के माध्यम से, पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड या कलक्टर के पास भिजवाए।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

कलक्टर के पास तो नही गये थे सर।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

तो आप वो शिकायत करोंगे ना। अभी ये वो बोल रहे है। अभी वो सब रिकोडिंग हो रही है। ये सारे मिनिट्स में आ जायेगा। ये सारी हम फॉरवर्ड करेंगे। जो भी चीज ये नही करेंगे तो इनको नोटिस ईशु हो जायेगा इसमें।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

पर्यावरण और प्रदुषण के बारे में। मिराज वाले के हमने दे रखी है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नही नही एक ही बात करो। अभी आप जो बात करो रहे हो वो इनके माईन्स की बात कर रहे हो। मतलब कि माईन्स क्षेत्र की। माईन्स क्षेत्र का ये है कि आप शिकायत कर दो।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

यहॉ पर भगवती लाल जी की जो माईन्स है वहॉ पर गाय भैस अंदर फस गई तो वो भी विडियाग्राफी पडी है हमारे पास।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है और आपकी इसके अलावा कोई शिकायत है।

श्री प्रेमलाल जाट, ग्रामीण :–

और तो बहुत सारी शिकायत है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपको जो कुछ भी कहना है ना वो लिखित में दे दो। और कोई भी कुछ कहना चाहेंगे।

स्कूल टीचर :–

मुझे स्कूल के बारे में कहना है सर। स्कूल में कमरो की कमी है। अगर बजट इतना बनता है या आगे से मिलता है तो स्कूल में 2 रूम और बनवाने का ये करे। इसके अलावा जो रूम ये बने हुए है उसमें से भी बारिश के टाईम में पानी टपकता रहता है तो उसकी रिपेयरिंग भी जरूरी है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

रिपेयर वर्क तो आप करवा ही दो।

स्कूल टीचर :–

रिपेयरिंग की बहुत जरूरत है। क्लासेज पूरा टाईम टपकता रहता है। बच्चों को उठाकर के इधर–उधर बैठाना होता है। अभी दो क्लासेज बाहर चलाई जाती है। बाहर यहॉ साईड में बरामदे में। तो दो क्लासरूप और बाकी थोडा रिपेयरिंग का मेटर है।

अन्य ग्रामीण :–

सर ये नई लगेगी तो किस जगह पर है। इसका एक सर ये जो माईन्स चल रही है ना इनका एरिया भी फिक्स नही है कि कहा–कहा पर इनका एरिया है, कहॉ पर है। इनका जो मलबा है वो ये चारागाह में डाल रहे है। हर कही डाल रहे है। कोई ठिकाना नही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपको जो भी शिकायत करनी है। आप लिखित में दो मार्बल संख्या नम्बर के साथ। मतलब की इसकी ये प्रॉब्लम है इसकी ये प्रॉब्लम है।

अन्य ग्रामीण :–

और ये क्या है कि सर जैस माईन्स अलौर्ट होती है तो उनकी लीज निरस्त हो जाती है किसी कारणवश। पत्थर निकालते है उसके बाद। उसके बाद जो जमीन होती है उसके ऊपर वो कंस्ट्रशन कर सकते है क्या? उसके ऊपर ये कब्जा करना वगैरहा ये सारी चीजे होती है क्या?

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

नही नहीवो तो ये पूरा क्लोजर प्रोगाम होता है वो ये नही कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

अन्य ग्रामीण :–

नही नही सर ऐसा भी कर रहे है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी जो भी शिकायते है वो लिखित में आपने दे ही दी है। इसमे आपकी जो भी अभी तीन चार चीजे आई है ना। जो भी चीजे इसमें से आप टेकअवर कर सकते है वो कम्पलीट ग्राउण्ड़ भी और सुझाव भी है तो कर दे।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

सर फर्स्ट प्रायोरिटी में इन चीजो को कम्पलीट कर दिया जायेगा।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी कोई माईन्स थोडी है।

श्री अमित सनाढ्य खनन पट्टेदार :–

नही सर।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और भी कुछ कहना चाहेंगे। कोई और अपनी बात रखना चाहे तो वो आ सकता है। मै SDM साहब से निवेदन करना चाहुंगा कि वो दो शब्द कहे।

श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), मावली, उदयपुर :– सभी को गुडर्मोनिंग, प्लीज सुन लो एक बार। अरे भई आप लोग भी बैंठ जाओ। खेडा भानसोल। तो पर्यावरण क्लीयरेंस के रिगाडिंग ये आज जनसुनवाई रखी है। जैसा की शरद जी को आपने बताया कि साहब ये ईशु आ रहा है तो मेरा तो आप लोगो से ये ही कहना है कि रिर्टन में दे दो तो ठीक होगा आपका जो ईशु है। इस माईनिंग के रिगाडिंग कहां लोकेशन है और अभी शुरू नही हुई है अभी क्या इनका एम एल हुआ है। इनका कोई लैंड था जो इन्होने माईनिंग से लाईसेंस करवाकर अब वहां वो माईनिंग का कार्य करेंगे तो वो लोकेशन आपको पटवारी जी बतादेंगे कि भई यहां आपका एग्जेट लोकेशन हैं। आपकी जो ग्रेगेसीयस आयी है वो पुरानी माईनिंग की आयी है कि साहब कोई मलबा नही हटा रहा हैं कोई एक्सट्रा माईनिंग एरिया कर रहा है। वो आप दे दो मैं एम.ई.साहब को भेज दूंगा ताकि उस पर कार्यवाही करेंगे। कोई भी एसा ईशु है मेरा SDM Office यहॉ मावली मे है आप मुझे बता दिया करो नम्बर भी है आजकल सभी के पास। आप मुझे वॉटसअप पर भी भेज दिया करो साहब वहां से आधा घण्टा लगता है पौन घण्टा लगता है। आप मुझे वॉट्सअप पर बता दो। मैं उस पर चूंकि अमीत है इनका तो। मतलब कि ये जो जनसुनवाई के रिगाडिंग हम आये है इस माईनिंग मे आपके कोई ईशु हो तो। चूंकि आपने जो एक्सपेंस शेयर किये है वो पिछले माईनिंग के किये है। ये बहुत Important बात है। कारण कि साहब हमारे यहां धुल उडती है, पानी का छिडकाव नही करते है, एक्स्ट्रा वो कर देते है। सोशल और सीएसआर का जो पैसा इनका आता है जितना कम्पनी एक्ट में बना हुआ है उसके रिगाडिंग जितना ये कर सकते है। कुछ तो इनका होता है मोरल ड्युटी कुछ इनकी होती है लिगल

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

ड्युटी। तो जो मोरल ड्युटी होती है कि साहब हमारा ग्राउण्ड बनाना है। मै अमीत जी को आज कह दुंगा कि जब भी अपने पासटाईम मिले तो जब भी आपको पैसा खर्च करना पडे तो दो चीजो पर करो। एक तो स्कूलो पर करो। स्कूलों के टॉयलेट बनाने है बच्चों के कोई बच्चों के बैठने के स्टूल टेबल, ब्लेक बोर्ड वाईट बोर्ड दे दों। जैसा कि मैडम ने बताया कि कमरे का तो जो बडा बजट है कमरे बनवा दो। और ये बच्चों के खेलने का ग्राउण्ड तो आपके माईनिग वालों की जेसीबी जायेगी तो दो दिन में अच्छा कर देगी। मेरा आप लोगो से कहना है कि ये अच्छी चीजे होती है तो इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट और ये जो होता है तो अपने को यहॉ पर काफी लोगो को रोजगार मिलते है। कुछ लोगो का वो आपका जो सीएआर का जो पैसा आता है ये जो पब्लिकहीत मे जो पैसा खर्च करते है वो आपमें है। मेरा आप लोगो से जनसुनवाई रखने का सरकार की एक ही मंशा है की आपकी जो जो संभावित जो आकांक्षा है जो शंका है वो बताओ। चुंक हम इसको बडिजम होता है इसमें पूरा। वन टू वन वर्ड टू वर्ड इसमें मिनिट्स में लिखा जायेगा। जो आप बताओगे वो गर्वमेंट को जायेगा वहा से अप्रुव होकर आयेगा ठीक है। दूसरा मेरा तो सभी गांव वालो से सभी आप लोगो से एक ही अनुरोध है कि जहां भी गलत होता है वहां बताओ। हम उसको बिल्कुल करेंगे। लेकिन जहां बिल्कुल किसी को परेशान करने की नियत से कि अननेसेसरी की साहब हमको तो इनको परेशान ही करना है वो नही करेंगे। जहां गलत होता है बिल्कुल आपका हक है उसको रिर्टन में दो और मौखिक कभी मत करो। जो चीजे होती है रिर्टन में होती है। आप रिर्टन में दो कार्यवाही होगी।और ये जो जितनी भी माईनिंग है माईनिंग चल रही है आपके यहां खेडा भानसोल में। उनकी रिर्टन में दे दो कि साहब इस इस माईनिंग में ये ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे वहां धुल उडती है, प्रदूषण होता है रास्ते सही नही कर रहे है ये लोग। लोगो के आमजन के लिये। पेड लगाना अनिवार्य होता है इनको। पेड लगाने पडते है तो पेड नही लगाते तो बताओ कि साहब वहां पेड भी नही लगाते है टाईम पर। यू बताओ ओन रिकॉड दो। हम ऑन रिर्कार्ड माईनिंग विभाग को भेजेंगे। शरद जी के वहा भी भेजेंगे जो भी रिगल एक्सन होगा वो करेंगे क्लीयर। बट थोडा सा सोहार्दपूर्ण वातावरण से चीजो को अपने को ताकि डवलपमेंट भी होता रहे और गांव को भी नुकसान नही इसका दोनो है। विकास भी होता रहे और गांव को भी फायदा मिले। जहा जहां अच्छे अच्छेये जो इंडस्ट्रीज आयी है वहां लोगो का विकास भी हुआ है। ठीक है न मेरा अमित जी से भी ये पर्सनल रिकवेस्ट है की आप थोडा सा यहां पर ये इस्पेसली स्कूल के बच्चों के लिये। जब भी आपको टाईम मिले कि साहब मेरा मेरी कम्पनी के बेनीफिट का कुछ पैसा मुझे हमेशा खर्च करना है तो आप स्कूल के बच्चों के लिये खेल मैदान बना दो, बच्चो के लिये क्या नाम है आप बच्चो के लिये झुले लगवा दो। यहां छोटे बच्चे पढते है तो झुले लगावा दो, शौचालय बनवा दो और कोई या फिर कोई आम रास्ता है आम रास्ते मे तो कोई ओप्स्ट्रेक अभी डामरतो अपन नही कर पाते है जैसा कि जेसीबी लेकर उसको ठीक करवा दिया जिससे आम लोगो को लगे ट्रस बिल्ड। आप पहली बार आये हो। तो जनता को लगे। तो जनता से ट्रस बिल्ड हो। ये जनता अपनी है। खुलकर काम करेगी। मेरा आप लोगो से एक ही अनुरोध है फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमे बताईये। हम यही बैठे है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मावली

आपकी सुनवाई करेंगे। और कभी भी कोई दिक्कत आये आप हमे बताये, हमारे पटवारी साहब को बता दे, मुझे भेज दो, वॉट्सअप पर भेज दो हम उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है थैक्यू।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और भी कोई कुछ कहना चाहे तो आ सकता है। कोई भी कुछ कहना चाहे कोई बात हो? आप सभी का धन्यवाद आप सभी पधारे। जय हिन्द।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली
जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
मावली

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री अमित सनादया, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (प्लॉट नं. 22/2020, क्षैत्रफल– 3.4579 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 912018 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 352185 TPA निकट ग्राम– खेड़ा भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 29.11.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–खेड़ा भानसोल, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ramesh Sirvi Punadia	SDM, Mavli	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3			
4	CP Jeengar	RPCB, Udaipur	[signature]
5	पापुलाल डांगी	राजस्व विभाग पटवारी	[signature]
6	[illegible] उदयपुर	उदयपुर	[signature]
7	कामनात आज़म	CRIPL, Udaipur	[signature]
8	नानू	सालरडई	
9	रमेश	सरगई	रमेश
10	देवेन्द्र खटीक	गाड़वाड़ा भानसोल	देवेन्द्र
11	गगन जाट	खेड़ा भानसोल	[signature]
12	गोकल जाट	खेड़ा भानसोल	
13	[illegible]		[signature]
14	किशन	गड़वाड़ा	किशन
15	गोरधन	गड़वाड़ा	गोरदन
16	मांगीलाल	गड़वाड़ा	मांगीलाल.
17	वेणीराम	खेड़ा भानसोल	वेणीराम
18	संजय खटीक	गड़वाड़ा	संजयखटीक
19	बालूराम जाट	खेड़ा	बालु
20	कल्याणसिंह बोयल	शिक्षा विभाग खेड़ा भानसोल	कल्याण[illegible]
21	राहुल यादव	शिक्षा विभाग खेड़ा भानसोल	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	[illegible]	बडवाडा	
23	प्रेम लाल जाट	खेड़ा मानसोल	[signature]
24	नरेश जाट	खेड़ा मानसोल	नरेश
25	नरेश मेघवाल	मानसोल	[signature]
26	कालु राम जाट	खेड़ा	कालुराम जाट
27	मैना बैरवा	खेड़ा-मानसोल/शिक्षा	मैना
28	बिमला चायल	खेड़ा मानसोल / शिक्षा विभाग	बिमला
29	रेवती ढोलिया	खेड़ा मानसोल / शिक्षा विभाग	रेवती
30	अनिता चौधरी	खेड़ा मानसोल / शिक्षा विभाग	अनिता
31	पूर्णिमा सुराणा	खेड़ा मानसोल / शिक्षा विभाग	पूर्णिमा
32.	शिवराम चौधरी	खेड़ा मानसोल /	[signature]

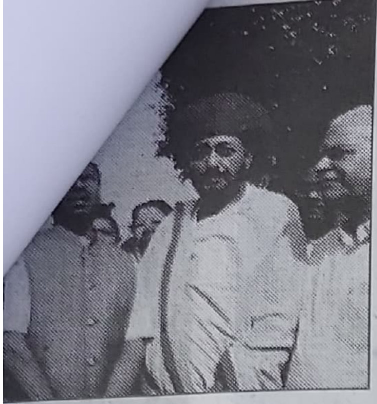

देन है, जिससे देश का नागरिक जनप्रतिनिधि बनने लगा। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जिलाध्यक्ष श्रीमाली ने कहा शेखावत ने जो राज्य एवं राष्ट्र के

लिए कार्य किए, वह नीतियां उदाहरण के तौर पर विश्वव्यापी हुए। सहकारिता के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, जिला महामंत्री किरण जैन, गजपालसिंह राठौड़, मनोज मेघवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नाहरसिंह जोधा, ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सुथार, जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी, मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, जितेंद्र मारू, क्षेत्रीय पार्षद लोकेश कोठारी, मीडिया सह प्रभारी अशोक आमेटा, सोशल मीडिया संभाग प्रभारी खुशबू मालवीय, जिला, मंडल पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राष्ट्र केवल शिक्षा में निवेश करके ही विकसित हुए हैं। इसका आधार विमान, परमाणु, कंप्यूटर जैसी प्रौद्योगिकी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इन सभी का मूल शिक्षा था।

उन्होंने कहा तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की मांग है। क्योंकि इनकी शिक्षा व्यवहारिक और बाजार की मांग पर आधारित है। भारतीय शिक्षा में चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। अच्छी शिक्षा का मतलब है सामाजिक विकास में निवेश और बेहतर मानव संसाधन का है। शिक्षा के अर्थशास्त्र से आर्थिक सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का तरीका पता चलता है। इससे शिक्षा से जुड़े आर्थिक निवेश विकल्प बनाने में मदद मिलती है। आभार परीक्षा नियंत्रक डॉ पारस जैन ने जताया। संचालन डॉ यज्ञ आमेटा ने किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रर डॉ तरूण श्रीमाली, प्रो सरोज गर्ग, प्रो जीवनसिंह खरकवाल, डॉ अमी राठौड़, डॉ रचना राठौड़, डॉ लालाराम जाट, डॉ चन्द्रेश छतलानी, डॉ दिनेश श्रीमाली, गजेन्द्रसिंह, डॉ अमित दवे आदि उपस्थित रहे।

पत्नी के सिर में कुल्हाड़ी मारकर खुद टंकी में कूदा पति, मौत

आपसी कलह में उठाया कदम, बच्ची छाछ लेने आई तो चला घटना का पता

महानगर संवाददाता

बीकानेर। जिले के महाजन थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह आपसी कलह में पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। इसके बाद घर में ही बनी पानी की टंकी में कूदकर सुसाइड कर लिया। गांव की ही एक बच्ची उनके घर छाछ लेने आई तो महिला को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखकर वह चीखते हुए बाहर की ओर भागी। इसके बाद आस-पड़ोस में सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

महाजन थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव ने बताया कि महाजन के अरजनसर गांव रामसरा के पास घटनां की सूचना मिली थी। यहां डूंगरराम ब्राह्मण ने कहासुनी के बाद अपनी पत्नी अंजू के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद खुद भी घर में ही बनी टंकी में कूदकर सुसाइड कर लिया। थाने में रिपोर्ट डूंगरराम के भाई महावीर ने दी है। इसमें बताया कि बुधवार सुबह गांव की एक बच्ची छोटे भाई डूंगाराम के घर छाछ लेने आई थी। उसने छाछ के लिए भाभी अंजू को आवाज लगाई। इस दौरान घर से कोई बाहर नहीं आया तो वह कुछ कदम अंदर गई तो भाभी अंजू को जमीन पर लहूलुहान हालत में देखा। इसके बाद शोर मचाती हुई बाहर की ओर भागी। ऐसे में पड़ोस के लोगों ने हमारे परिवार को सूचना दी।

घटना के समय स्कूल गए हुए थे बच्चे : भाई ने रिपोर्ट में बताया कि जब घर में पहुंचे तो भाभी अंजू के अलावा कोई नजर नहीं आया। इसके बाद भाई डूंगरराम को फोन किया तो मोबाइल की रिंग घर में ही बज रही थी। ऐसे में आसपास देखा तो टंकी का ढक्कन खुला दिखाई दिया। अंदर झांककर देखा तो भाई का शव नजर आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। भाई महावीर ने बताया कि डूंगरराम और अंजू के तीन बच्चे हैं, इनमें दो बेटे और एक बेटी है। जिस वक्त ये घटना हुई बच्चे स्कूल गए थे। डूंगरराम खेती करके अपना घर चलाता था। इस हादसे के बाद तीनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं।

जैसलमेर-म्याजलार सड़क निर्माण को स्वीकृति

जैसलमेर। जैसलमेर से म्याजलार तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क का पिछले करीब पांच वर्ष से अटका हुआ कार्य अब कराया जा सकेगा। डीएनपी क्षेत्र में आने की वजह से यह सड़क निर्माण कार्य अटका हुआ था। अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड) ने इस कार्य को कई हिदायतों के साथ कराने को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस कार्य को स्वीकृत कराने के लिए रावतरी निवासी जुगतसिंह सोढ़ा पिछले पांच सालों से पर्यावरण और सड़क परिवहन मंत्रालय में जुटे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, राजस्थान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के यहां लगातार चक्कर काटे। जुगतसिंह सोढ़ा ने बताया कि जैसलमेर से म्याजलार तक बनने वाली 137 किलोमीटर लम्बी रोड के लिए पूर्व केबिनेट मंत्री जसवंत सिंह ने भरपूर प्रयास किए। उसके बाद सड़क परियोजना स्वीकृत हुई, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मरु उद्यान बीच में आने से इसे रोक दिया। तब से इसे स्वीकृत कराने के लिए पांच साल से ज्यादा समय से लड़ाई लड़नी पड़ी।

भीम

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- श्री अमित सनाद्या, प्लॉट न. 22/2020 (क्षैत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डसपार'', ग्राम- खेड़ा भानसोल, तहसील-मावली, जिला- उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अमित सनाद्या, प्लॉट न. 22/2020 (क्षैत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डसपार'', ग्राम- खेड़ा भानसोल, तहसील-मावली, जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना है जिसका क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (प्लॉट न. 22/2020, क्षैत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 352185 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है ।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर । 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर । 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील- मावली, जिला- उदयपुर । 7) निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 29/11/2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम-खेड़ा भानसोल, तहसील- मावली, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

[STU]BBLE BURNING

[L]iving in a pollution-free environme[nt] [...] citizen's right': SC pulls up Centre fo[r]

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 23

THE SUPREME Court on Wednesday said that time has come to remind governments that citizens have a fundamental right under Article 21 to live in a pollution-free environment and that the amended Section 15 of the Environment Protection Act-1986 dealing with penalties for violating the Act had been rendered "toothless" owing to the Centre's failure to create the machinery to support this.

"Time has come to remind the government of India and state governments that there is a fundamental right vesting in every citizen under Article 21 of the constitution of India to live in a pollution free environment. These are not the matters only of implementing the existing laws. These are the matters of blatant violation of fundamental rights guaranteed under Article 21 of the constitution of India," a bench of Justices A S Oka, Ahsanuddin Amanullah, and Augustine George Masih said while hearing a matter related to stubble burning in Punjab and Haryana.

The bench pointed out that while the unamended Section 15 made the violation of the Act a penal offence, the amended section which came into force on April 1, substituted it with provision for recovery of penalty for contravention of provisions of the Act.

However, "the provision has been rendered completely ineffective due to inaction on the pa[rt] of the government of India" it sa[id], adding, "neither rules are fram[ed] for supporting the said provisio[n] nor appointment of adjudicati[ng] officers has been made thou[gh a] period of more than 6 months h[as] elapsed. As adjudicating office[rs] are not appointed under secti[on] 15(c), Obviously, the law enfor[c]ing machineries cannot impo[se] penalty under Section 15."

The court said that "in absen[ce] of machinery created by the go[v]ernment of India, Section 15 [as] amended has become toothle[ss]. And there is nothing in the han[ds] of law enforcing authorities [to] strictly enforce the provisions [of] Environment Protection A[ct]. Therefore, those who violate t[he] laws related to environment a[re] now scot free as no action can [be] taken against them".

The SC recorded the stateme[nt]

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- श्री अमित सनाढ्या, प्लॉट न. 22/2020 (क्षेत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डसपार'', ग्राम- खेड़ा भानसोल, तहसील-मावली, जिला- उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अमित सनाढ्या, प्लॉट न. 22/2020 (क्षेत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डसपार'', ग्राम- खेड़ा भानसोल, तहसील-मावली, जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना है जिसका क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (प्लॉट न. 22/2020, क्षेत्रफल 3.4579 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 352185 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है । 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर । 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर । 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील- मावली, जिला- उदयपुर । 7) निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) । अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 29/11/2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम-खेड़ा भानसोल, तहसील- मावली, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षेका किश/पीयूबी-393/ दिनांकः ....

पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

विषय:- मैसर्स विजन वर्ल्ड टेक्सटाईल, प्लॉट संख्या BJ-15 ग्राम नगर, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर एवं ग्राम हुरडा-सेजा, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बजरी खनन परियोजना कुल क्षेत्रफल 98.8458 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता-10,67,534 टीपीए (आर.ओ.एम.) आवेदक मैसर्स विजन वर्ल्ड टेक्सटाईल द्वारा प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 48.5132 हैक्टेयर जो कि प्लॉट संख्या BJ-15, निकट ग्राम नगर, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर में स्थित है से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स विजन वर्ल्ड टेक्सटाईल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
   5. तहसील कार्यालय-विजयनगर, जिला-ब्यावर।
   6. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, [illegible], ग्राम पंचायत [illegible], पंचायत समिति मसूदा, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पत्र क्रमांक [illegible] 8(14)/ सामान्य/2024/1741 दिनांक 17.10.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27/11/2024 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, [illegible], ग्राम पंचायत [illegible], पंचायत समिति मसूदा, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

TAMILNADU POWER GENERATION CORPORATION LIMITE[D]
NOTICE INVITING TENDER

E-tender through e-procurement platform at **https://tntenders.gov.in/nicgep/app** as per the instruction[s] in the tender specification Coal (SHIP) – 173 Dated 22.10.2024 for time chartering of One Self-Trimmin[g] Panamax / Kamsarmax gearless vessel for coastal movement of coal by TNPGCL:

Sl No.	Specification No.	Description of Work / Materials	Due Date & Time for submission of e-tende[r]
1	Coal (SHIP) - 173 Dated 22.10.2024	TIME CHARTERING of ONE SELF-TRIMMING PANAMAX/ KAMSARMAX GEARLESS BULK CARRIER VESSEL with the LAYDAYS from 10th to 25th DECEMBER 2024 for a PERIOD of 9 MONTHS + 4 MONTHS CHOPTION + 3 MONTHS CHOPTION +/- 15 DAYS CHOPTION	**08.11.2024 Upto 14:30 Hours.**

Submission of E-Tender: THROUGH THIS HYPERLINK **https://tntenders.gov.in/nicgep/app**
Date & Time of commencement of download of Tender Specification : **17:00 Hrs. on 24.10.2024**
Date & Time of closing of download of Tender Specification : **14:30 Hrs on 08.11.2024**

Soft copy of Tender Specification:
The tender specification can be downloaded from TANGEDCO website **www.tangedco.gov.i[n]** from Tamil Nadu Government Website i.e. **www.tenders.tn.gov.in** and from National Informatic[s] Center website **https://tntenders.gov.in/nicgep/app** free of cost.
Tender will be opened: Through the NIC portal **https://tntenders.gov.in/nicgep/app**

DIPR/4521/Tender/2024 CHIEF ENGINEER / MECH / COAL, TNPGCL / CHENNAI -

MAHINDRA RURAL HOUSING [...]

Mahindra HOME FINANCE

Corporate Office: UNIT NO. 203, AMITI BUILDING, PIRAMAL AGASTYA COR[...] JUNCTION, L.B.S MAIN ROAD, KURLA WEST, MUMBAI – 400070.TEL. +91 2[...]
Regional Office: 3rd Floor , Plot No. 46-47, Shreenath Tower ,Cosmo Colony ,Am[...]

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CU[...]

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Offic[...] the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Inte[...] borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable pr[...] possession, on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particula[...]

Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immova[...] (Secured Asset[s])
Borrower : BAJRANG Co-Borrower: GEETA DEVI KUMAWAT Lan:XSEMJPB00708414	20-01-2023 Rs. 8,89,755/- EIGHT LAKH EIGHTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY FIVE	All That Part And Parcel Of The Pro[...] NO. B-06, KH. NO. 295 & 303, SCHE[...] TEELAWAS, TEHSIL- SANGANER, [...] (111.11 SQ YDS.) Bounded By:-East: [...] 30 Ft. Wide Road, NORTH:- PLOT [...] NO.B-07

(1) Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is [...] mentioned herein above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be consi[...] interest shall be paid on the EMD. (2) Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 08.11.[...] Regional Office address The tender will be opened in the presence of the Authorised Officer. (3)Date of Ins[...] 11.00 AM to 01.00 PM. (4)The notice is hereby given to the Borrower/s and Guarantor/s, to remain present [...] buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particula[...] NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s[...] immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken [...] FINANCE LTD. (MRHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever ther[...] FINANCE LTD., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. (6) The immovable property w[...] Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding [...]